क्यों हुआ आईपीएस जसवीर सिंह का निलंबन....

खुद पर रासुका लगाने वाले पुलिस अफसर को कैसे बरदाश्त करता योगी आईपीएस काडर को बर्बाद करने की दूसरी मिसाल बना यूपी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

लखनऊ: चाहे वह हरियाणा हो, गुजरात हो या यूपी हो, सभी जगह ईमानदार पुलिस अफसरों को हर राज में भुगतना पड़ता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने वाले आईपीएस संजीव भट्ट को 15 साल पुराने मामले की फाइल खोलकर गिरफ्तार किया गया। एक साल से ज्यादा हो चुका है उनकी जमानत तक अदालत से नहीं हो रही है। लेकिन मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटे मोदी यानी योगी आदित्यनाथ ने भी अपना पुराना बदला 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह से चुकाया है। यूपी पुलिस के एडीजीपी जसवीर सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मामूली आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया है।

योगी ने लिया पुराना बदला

सन् 2002 में महाराजगंज के एसपी थे जसवीर सिंह। जसवीर ने 1999 के एक मामले में कार्रवाई करते हुए सांसद योगी आदित्यनाथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। उस वक्त केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो यूपी में बीजेपी के ही सहयोग से मायावती राज कर रही थीं। जसवीर पर दबाव बना ये क्या कर दिया। उनको रासुका हटाने को कहा गया। पर जसवीर नहीं माने। दो दिन बाद जसवीर का ट्रांसफर फूड सेल में कर दिया गया। हुआ यह था कि 1999 का चुनाव बस हारत-हारते रह गए थे। मात्र 7339 वोटों से जीते थे। योगी को समझ आ गया था कि खाली बीजेपी के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। पूर्वांचल की पंडित-ठाकुर राजनीति से पार पानी है तो हिंदुत्व को कसके पकड़ना होगा। उन्होंने अपना एक संगठन हिंदू युवा वाहिनी बनया। अपने नाम के मुताबिक ही इस संगठन ने हिंदुत्व का झंडा बीजेपी से 10-20 गुना रफ्तार से उठाया। मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के कई मुकदमे इस संगठन पर दर्ज हुए। इसी हिंदू युवा वाहिनी पर महाराजगंज और गोरखपुर के बॉर्डर पर पड़ने वाले एक गांव पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा। जसवीर ने इसी मामले में योगी पर तब रासुका लगाई थी।

यूपी की कमान मिलते ही योगी ने सबसे पहला काम किया, खुद अपने खिलाफ दर्ज इस मुकदमे को वापस ले लिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज संगीन मामले को वापस ले लिया। मुकदमा वापस लेने के बाद योगी की नजर आईपीएस जसवीर सिंह पर थी। मौका तलाशा जा रहा था कि कब उन्हें लपेटा जाए। यूपी सरकार को मौका तब मिला, जब जसवीर सिंह ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया, जिसमें यूपी सरकार की एनकाउंटर नीति पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्हों ने प्रदेश में बढ़ती अराजकता और ईमानदार अफसरों को काम न करने देने के आरोप यूपी सरकार पर लगाए। सरकार ने उनसे इस इंटरव्यू पर जवाब मांगने का फैसला किया। हालांकि बताया जाता है कि वह इंटरव्यू भी प्रायोजित था और एक साजिश के तहत उसे वह इंटरव्यू कराया गया ताकि जसवीर सिंह को सस्पेंड किया जा सके। जब उनके पास सरकार का नोटिस पहुंचा तो वह छुट्टी पर चले गए। 14 फरवरी को यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री के इशारे पर जसवीर सिंह को इस आरोप के साथ निलंबित किया कि वह अपने से बड़े अधिकारी से पूछकर छुट्टी पर नहीं गए थे। उनकी छुट्टी का कहीं कोई

प्रार्थनापत्र किसी स्तर पर लंबित नहीं था। उन्होंने बिना अनुमति इंटरव्यू दिया और सरकारी नीति की आलोचना की। ये बातें सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ हैं। इसके बाद यूपी के प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीजीपी योगी आदित्यनाथ के बचाव में पूरी तरह उतर पड़े। इन लोगों ने निलंबन को सही ठहराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया।

एक महीने टिकने वाला अफसर

जसवीर सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूलत: पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं। पिता सेना में थे। तो बचपन से ही अनुशासन का पाठ मिला. ।उसी का असर उनकी नौकरी में दिखता है। 26 साल के उनके करियर पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। किसी भी हालत में नियम कानून से समझौता नहीं। इसीलिए नौकरी की शुरुआत से ही उनका हर सरकार से पंगा रहा है। तभी उन्हें जिलों की तैनाती मुश्किल से छह महीने के लिए ही मिली और 35 दिन से ज्यादा किसी जिले में वह टिके नहीं।अपने इस मिजाज पर जसवीर ने कुछ साल पहले दिल्ली में एक ऐंटी करप्शन कार्यक्रम में बात की थी। बोले थे कि उनके यह संस्कार उनके पिताजी की वजह से हैं, जो सेना में हवलदार थे। उनके मुताबिक, पिता ने कहा था – बेटा गोली खा लेना, रिश्वत न खाना।

राजा भैया को पसीने आ गए थे

1997 में जसवीर प्रतापगढ़ में बतौर एसपी तैनात थे। वही प्रतापगढ़ जिसे राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। मगर जसवीर ने इसका लोड नहीं लिया। एक हत्या के मामले में रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मगर इसके एक हफ्ते बाद उनका ट्रांसफर हो गया। फिर वो 2007 के करीब फूड सेल में पहुंचे तो उस दौरान भी उन्होंने राजा भैया पर शिकंजा कसा। राजा भैया तब खाद्यान्न मंत्री थे। जसवीर ने तब खाद्यान्न चोरी की जांच शुरू की तो पता चला हजारों करोड़ का राशन दूसरे प्रदेशों और देशों को भेजा जा रहा है। सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने तब कैबिनेट मंत्री राजा भैया से जान का खतरा भी बताते हुए सुरक्षा मांगी थी। पर मिला ट्रांसफर। उस समय अखिलेश के पापा मुलायम सिंह यादव सीएम थे।

इसी वजह से वह तमाम लोगों के समझाने के बावजूद व्यवस्था में चलने का मध्यममार्गी रवैया अख्तियार नहीं कर पाए। उनका कहना है कि पुलिस महकमे की तथाकथित मेनस्ट्रीम वह है, जिसमें बलात्कारियों व हत्यारों तक से भी केस कमजोर करने की एवज में पैसा खाया जाता है। उन्होंने तब पुलिस महकमे में व्याप्त विभागीय भ्रष्टाचार और राजनीतिक गठजोड़ की भी जमकर बखिया उधेड़ी थी। कहा था कि इस व्यवस्था में सिर्फ थाना और सिपाही ही नहीं बल्कि पुलिस के बड़े-बड़े अफसर भी बिकते हैं। इसमें नेताओं के नाम भी हैं।

जसवीर ने कालेधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दाखिल की थी। इस वजह से उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू हुई थी, पर वह आगे न बढ़ सकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में उन्हें अनाज घोटाले की जांच सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने कई सत्ताधारियों की संलिप्तता उजागर की थी। बाद में उन्हें इस जांच से हटा दिया गया था।

मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में उन्हें मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया था। वहां उन्होंने बसपा के ही लोगों पर कार्रवाई कर दी। एक बार फिर ट्रांसफर हो गया।

करप्शन के खिलाफ जंग

2017 में जसवीर फायर सेफ्टी विभाग पहुंचे तो वहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया। इस पर उन्हें होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया। एडीजी होमगार्ड रहते हुए उन्होंने वहां भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। एक बार फिर ट्रांसफर हाथ आया। उन्हें एडीजी रूल्स ऐंड मैनुअल्स के पद पर तैनाती दे दी गई।

एडीजी रूल्स एंड मैनुअल्स में उन्होंने काम न होने की बात कही तो उनसे अपने मन के विषय पर रिसर्च करने को कहा गया। इस पर जसवीर सिंह ने लिखकर पूछा – जिस विभाग में काम नहीं, उसे बनाया क्यों गया। इसका जवाब कभी नहीं दिया गया।

अब लौटते हैं उस इंटरव्यू में जिसके कारण जसवीर ताजा-ताजा निलंबित हुए हैं। आरोप है कि उसमें उन्होंने सरकार की एनकाउंटर नीति, अफसरों के तबादलों और तैनातियों समेत कई बिंदुओं पर विरोधी बयान दिए। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी बताया कि कैसे उन्हें बिना काम के सरकार सैलरी दे रही है और रूल्स ऐंड मैनुअल्स में कोई काम न होने के बावजूद वहां स्टाफ को बैठाकर वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि नेता चाहते हैं कि अधिकारी उनके प्रति निष्ठावान रहें, जो असंवैधानिक है।

क्या गिरफ्तार होंगे जसवीर सिंह

यूपी सरकार के सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार दरअसल गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट की तर्ज पर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। अगला कदम वही हो सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला तलाश नहीं कर पा रही है योगी सरकार। तमाम आला अफसरों को इस मामले में काम पर लगाया गया है, जहां-जहां जसवीर तैनात रहे हैं, वहां वहां से उस समय की फाइलें मंगाकर नुक्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है।

अफसर ही अफसर का दुश्मन

आईपीएस या आईएएस अफसरों में ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। सत्ता के नजदीक पहुंचने के चक्कर में अफसर अपने मुख्यमंत्री और मंत्री का गलत आदेश बजाने को तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर यही अफसर अड़ जाएं कि वह गलत नहीं होने देंगे, तो प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बड़ी पहल शुरू हो सकती है।

गुजरात के दो आईपीएस संजीव भट्ट और रजनीश राय इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। अगर गुजरात के सारे आईपीएस इन दोनों का साथ देते तो शायद दोनों की गिरफ्तारी न हो पाती। यूपी के आईपीएस जसवीर सिंह के मामले में भी यही हो रहा है। यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी योगी आदित्यनाथ के पिछलग्गू तो बने ही हुए हैं लेकिन राज्य के बाकी आईपीएस अफसरों को क्या हो गया है। उन्होंने क्यों नहीं जसवीर सिंह का साथ दिया। कुछ अफसर हमदर्दी करने भी पहुंचे तो वे समझौते और माफीनामे की बात करने लगे।

सड़कों पर लगने वाला जाम, पुलिस के भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है

फरीदाबाद (म.मो.) बाजारों व गलियों में अतिक्रमण को छोड़ भी दें तो मुख्य मार्गों पर पर्याप्त सड़क होने के बावजूद लगने वाले जाम का एकमात्र कारण सड़कों एवं उनके किनारे खड़े होने वाले वाहन हैं। बाटा-हार्डवेयर चौक वाली सड़क पर स्थायी रूप से बड़े-बड़े ट्रकों व लम्बे-लम्बे ट्रालों का जमावड़ा लगा रहता है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, हर सड़क किनारे कई बार तो ये वाहन आधी सड़क तक घेर कर खड़े हो जाते हैं

सैक्टर-14 से सैक्टर 9 को जाने वाली सड़क, जिस पर एस्कार्टस ट्रैक्टर प्लांट व इंडियन आयल संस्थान है पर संदैव सड़क के दोनों और वाहन खड़े करके आधी से अधिक सड़क घेर ली जाती है। इसके चलते स्कूलों की छुट्टी के समय वहां सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। सैक्टर-14 के मानव रचना स्कूल ने तो अपने सामने वाली सड़क को स्थायी रूप से पार्किंग स्थल बना रखा हैं वहां 5-10 गाड़िया तो हर समय खड़ी रहती हैं और छुट्टी के समय तो गाड़ियों की गिनती का कोई हिसाब ही नहीं। इसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को या तो जाम में फंसना पड़ता है या फिर रास्ता बदलना पड़ता है।

हाईवे की सर्विस लेन को तो कुछ लोगों ने पार्किंग स्थल ही मान रखा है। इसका बेहतरीन नमूना अजरौंदा व ओल्ड फ रीदाबाद के चौक पर देखा जा सकता है। ओल्ड के चौक से रेलवे अंडरपास की ओर जाने वाली सड़क तो लगता है पुलिस ने रेहड़ी वालों को पूरी तरह से बेच खाई है। यही हाल अंडरपास से निकलकर रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क का है।

बीके चौक पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष जमावड़ा रहता है। इसके बावजूद ऑटों वालों की मनमानी पार्किंग के चलते सदैव जाम लगा रहता है। लगता है यहां पुलिस के बड़े जमावड़े के खर्च खुराक का इन्तजाम इन्हीं ऑटों वालों के जिम्मे हे, इसीलिये वे सब कायदे कानूनों को तोड़कर मनमानी करने को स्वतंत्र है।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए एक डीसीपी दो एसीपी ने दर्जनों थानेदार लगे हैं। सिपाहियों की गिनती सैकड़ों में है। ट्रैफिक पुलिस का अग से थाना भी बना दिया गया है। उसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इससे कहीं बेहतर स्थिति तो उस समय रहती थी जब जिले भर की इस व्यवस्था को मात्र एक सब इंसपैक्टर देखा करता था। इससे तो यही लगता है कि ट्रैफिक पुलिस बढ़े हुए बल की कमाई बढ़ाने के लिए वाहन चालकों को छूट देना आवश्यक है। ऐसी ही छूट के चलते शहर में 2000 से अधिक ट्रैक्टर ट्राले व टैंकर अवैध रूप से कमर्शियल काम में जुटे हैं। नियमित काम करने वाले इसके लिए पुलिस को 1200 रूपए मासिक देते हैं तो आसपास से ईंट, रोड़ी, पत्थर आदि ढोकर लाने वाले पुलिस नाके पर 50-100 की 'इन्ट्री' फीस देते हैं। जाहिर है यह सब कारोबार उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के बिना छोटे मुलाजिम कदापि नहीं कर सकते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06